# कार्यालय नगर परिषद काटोल

जिल्हा नागपूर

Phone & Fax: 07112222593, 07112222101

Email: n.p.katol@gmail.com

क्र. नपका /नरवि / अभि.मंजुरी / 608 पै / 1 व 609 / 416 /2023 दिनांक :- 01 /03 /2023

प्रती,

श्री प्रमोद देवाजी बागडे व ईतर 5
रा. काटोल. जिल्हा नागपूर.

विषय:– मौजा–काटोल,ता–काटोल सर्व्हे क्रमांक 608 पै/1 व 609 एकुण क्षेत्र 2.09 हेक्टर आर. जमिनीस रहिवासी वापराकरीता अकृषक परवाणगी मिळण्याबाबत.

संदर्भ:– 1) आपला दिनांक 01/01/2023 चा अर्ज.

2) मा.सहायक संचालक, नगर रचना विभाग नागपूर यांचे पत्र जा.क्र. सिमांकन/मौजा काटोल/ ता.काटोल/स.क. 608 पै/1 व 609 /ससंनाग/4965 दिनांक 28/09/2022.

3) या कार्यालयाचे पत्र क.नपका/नगररचना/223/2023, दिनांक 27/01/2023.

4) महाराष्ट्र जमीन महसुल संहीता (सुधारणा) कायदा2014 कलम 42 अ(1)अ,क

विषयांकीत प्रकरणातील जागा रहिवास वापरार्थ अकृषक करण्याकरीता अभिन्यास मंजुरीबाबत सदर्भ क. 1 अन्वये आपला या कार्यालयास अर्ज प्राप्त झालेला आहे. संदर्भ कमांक 2 नुसार मा. सहायक संचालक नगर रचना विभाग, शाखा कार्यालय नागपूर यांचेकडून विषयांकीत जमीन निवासी वापराकरिता अभिन्यास रेखांकनासाठी मंजुरीची शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने उप अधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, काटोल यांनी प्रत्यक्ष आखणी केलेला मोजणी नकाशा व आपण स्वाक्षांकित केलेला प्रस्तावित अभिन्यास नकाशा संदर्भाकिंत अर्जासोबत सादर केलेला आहे.

तसेच आपण या कार्यालयाचे संदर्भांकित पत्र क. 3 अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 124(ब) नुसार विकास शुल्काची रक्कम, पावती कमांक 50/53 दिनांक 03/02/2023 नुसार भरणा केलेला आहे.

या कार्यालयास सादर केलेला सदर प्रकरणातील अभिन्यास नकाशा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार सर्वसाधारणपणे योग्य आहे. त्यानुसार सोबतच्या अभिन्यास नकाशास रहिवासी वापराकरीता खालील विवरण, Annexure-A आणि अटींनुसार प्राथमिक मंजुरी देण्यात येत आहे.

| | AREA STATEMENT | |
|---|---|---|
| 1) | AREA OF PLOT | |
| | A) AS PER OWNERSHIP DOCUMENT (7/12,CTS) | 20900.00 SQ.MT. |
| | B) AS PER MEASURMENT SHEET | 17404.94 SQ.MT. |
| | C) AS PER SITE | 17404.94 SQ.MT. |
| | MINIMUM AREA TO BE CONSIDERED | 00 SQ.MT. |
| 2) | DEDUCTIONS FOR | |
| | A) (I) PROPOSED ROAD WIDENING OF EXISTING PANDHAN ROAD TO 15.00 M. | 487.56 SQ.MT. |
| | (II) PROPOSED ROAD WIDENING O EXISTING D.P. ROAD TO 18 M. | 471.91 SQ.MT. |
| | B) ANY D.P.RESERVATION AREA | 0.000 SQ.MT. |
| | TOTAL ( A+B) | 959.47 SQ.MT. |
| 3) | BALANCE AREA OF LAND (1-2) | 16445.47 SQ.MT. |
| 4) | AMENITY SPACE (IF APPLICABLE) | |
| | A) REQUIRED | 2042.81 SQ.MT. |
| | B) ADJUSTMENT OF 2(b), IF ANY | 0.000 SQ.MT |
| | C PROPOSED | 2071.10 SQ.MT. |
| 5) | NET PLOT AREA (3-4(C)) | 14347.37 SQ.MT. |
| 6) | RECREATIONAL OPEN SPACE (IF APPLICABLE) | |
| | A) REQUIRED | 2042.81 SQ.MT. |
| | B) PROPOSED | 2044.46 SQ.MT. |
| 7) | INTERNAL ROAD AREA | 4237.28 SQ.MT. |
| 8) | SERVICE ROAD AND HIGHWAY WIDENING | 0.000 SQ.MT. |
| 9) | PLOTABLE AREA | 8092.63 SQ.MT. |
| 10) | PRO-RATA FACTOR FOR FSI CALCULATION ON LAYOUT PLOTS (5/9) | 14374.37/8092.63=1.776 (Restricted Upto 1.70) |

अटी व शर्ती.

1) संपुर्ण अभिन्यासातील भुखंडाचा उपयोग फक्त निवासी वापराकरीताच करण्यात यावा तसेच भविष्यात भुखंडाचे विभाजन करू नये.
2) अभिन्यासातील खुली जागा, सार्वजनिक सोई–सुविधा खालील जागा रस्ते, पुल, नाल्या ईत्यादीचा विकास करण्याची जबाबदारी जमिन मालक / विकासकर्त्याची राहील. उक्त प्राथमिक सुविधेच्या विकासाचे अनुषंगाने व एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्र.2.7.2 नुसार कार्यवाही करावी लागेल अथवा उक्त विकासा करीता परिगणीत होणारी अंदाजपत्रकीय किंमत अर्जदाराने या नियोजन प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागेल. अभिन्यासातील खुली जागा, रस्ते, पुल, ईत्यादी विकसीत करून विनामुल्य या नियोजन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणे बंधनकारक राहील.

3) अभिन्यास मालक अभिन्यासातील विकास कामे स्वतः करीत असल्यास अभिन्यासातील विकास कामे जसे पीण्याच्या पाण्याच्या पाईल लाईन, रस्त्याचे खडीकरण करून त्यास डांबरीकरण/सिमेंन्टीकरण, खुल्या जागेला कंपाऊंड वॉल बांधकाम करणे, अभिन्यासामध्ये भुमीगत नाली बांधकाम करणे, ईलेक्ट्रीक पोलची उभारणी करून त्यावर लाईट फिटींग करणे या कामाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रके व नकाशे सादर करण्यात येवुन त्यास या कार्यालयाकडुन मंजुरी प्राप्त करून अंदाजपत्रकाप्रमाणे विकास कामे करणे बंधनकारक राहील अभिन्यास मालकाने स्वमर्जीने केलेली विकास कामे ग्राह्य मानली जाणार नाही.

4) भुखंडाची विक्री करण्यापुर्वी मा. आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांचेकडील स्थायी निर्देश क्रमांक 33 मध्ये आदेशीत केल्याप्रमाणे रेखांकनातील अंतर्गत रस्ते खडीकरण करून त्यास डांबरीकरण/सिमेंटीकरण करणे व भुखंडाचे दोन्ही बाजुस आवश्यक आकाराच्या आय.एस.आय. मार्क सिमेंन्ट पाईपच्या च्या भुमिगत पाईप गटारे बांधकाम करणे पिण्याचे पाण्याचे व्यवस्थेसाठी भुखंडाचे दोन्ही बाजुस डि.आय./ सुप्रीम कंपणीचे एस.डी.पी.ई. पाईप लाईन टाकणे आवश्यक्तेनुसार व्हॉल लावुन सदर पाईपलाईन नगरपरिषदेच्या मुख्य जलवाहीनीला जोडणी करून देणे व सार्वजनिक दिवाबत्तीसाठी लोखंडी पोवलर तार लावुन पोलवर एल.ई.डी. लाईट फिटींग करणे, स्ववंत्र विद्यूत रोहीत्राची उभारणी करणे व मिटर पेटी तयार करणे खुल्या जागेला कंपाऊड वॉल बांधुन आवश्यक्तेनुसार त्यास ग्रील व गेट लावणे व अभिन्यासातील अंतर्गत रस्ते व खुली जागा काटोल नगरपरिषदेस नाममात्र रू. 1/–(एक रूपया) मोबदला घेवुन ताब्यात द्यावे लागेल अभिन्यासतील अंतर्गत रस्ते सर्वांना वापरासाठी खुले असतील व ते सार्वजनिक जाण्या येण्याचा मार्ग म्हणुन उपयोगात व वापरात राहील.

5) नागरी सुविधासाठी विकास निधी प्रचलीत सी.एस.आर. दरानुसार विकास निधी नगरपरिषद कडे भरणा करणे बंधनकारक राहील किंवा विकास निधी एवढया किंमतीचे भुखंड नगर परिषदेने ठरविल्यानुसार नगरपरिषद कडे अर्जदारास तारण/गहान करून देणे बंधनकारक राहील त्याकरीताचे नोंदणीकृत लेखाकरीता मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील तसेच नागरी सुविधांचे देखरेखीसाठी आवश्यक शुल्क अर्जदारास नगरपरिषदेकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.

6) सर्व संबंधीत विभागांनी नमुद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे अभिन्यास मालकास बंधनकारक आहे.

7) अकृषिक परवागीच्या अनुषंगाने अभिन्यास मंजुर झालेल्या दिनांकापासुन एक वर्षाचे आत जमीनीचा अकृषीक वापर सुरू न केल्यास परवानगी रद्द करण्यात येईल.

8) सदर अभिन्यासातील बांधकाम परवानगीस महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 44 अन्वये या कार्यालयाकडुन मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील.

9) विषयांकीत जमिनीतुन विद्यूत वाहीणी/दुरध्वनी वाहीणी जात असल्यास उक्त वाहीणी अभिन्यासातील भुखंडांना बाधीत होणार नाही अशा रीतीने संबंधीत विभागाच्या अद्यावत नियमानुसार आवश्यक त्या सामासिक अंतरावर स्थानांतरीत करावी लागेल.

10) सदर अभिन्यासामधील प्रस्तावीत बांधकामास ब वर्ग नगरपरिषदे क्षेत्राकरीता लागु एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदी लागु राहील.

11) पावसाच्या पाण्याचे जलसंवर्धन (Rain Water Harvesting) ची व्यवस्था अभिन्यासात

आपणास स्वतः करावी लागेल.

12) जमीनीचे मालकी हक्काबाबत महसुल विभागाचे स्तरावर खात्री करून घेणे आवश्यक राहील.

13) अभिन्यासात सार्वजनिक पाणी पुरवठयाची ब सांडपाण्याची प्रक्रीया करून विल्हेवाट करण्याची व्यवस्था जमिन मालक / विकासक यांनी स्वतःचे खर्चाने करणे आवश्यक राहील.

14) सदर जागेवर पिण्याचे पाण्याची उपलब्धता असल्याबाबत संबंधीत विभागाचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.

15) अभिन्यासातील जागेत काही वृक्ष असल्यास भुखंड आखताना ती नष्ट न करता विद्यमान स्थितीत कायम ठेवावी. तसेच रस्त्याचे दुतर्फा व बांधकाम परिसरातील मोकळया जागेत जास्तीत जास्त वृक्ष रोपण करून त्याची देखभाल स्वखर्चान करावी.

16) रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारचे कॉसिंग सी.डी. वर्क इत्यादी पुर्व परवानगी शिवाय करता येणार नाही.

17) प्रस्तावित लेआऊट चे सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था व सिव्हरलाईनचे काम आपणास स्वखर्चाने करावे लागेल तसेच उपरोक्त परिसरातील सांडपाणी रस्त्यावर वाहुन येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

18) मुख्य रस्त्यापासून लेआऊटवर जाण्या–येण्याकरीता 12.00 मिटर रूंदीचा पोचरस्ता असावा.

19) स्थावर मालमत्ता नियमन आणि विकास कायदा 2016 च्या तरतूदीनुसार विकासकाने The Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MAHARERA) कडे अभिन्यासाची नोंद केल्याशिवाय जाहीरात करू नये किंवा अभिन्यासातील भुखंडाची विक्रीबाबतची कोणतीही कार्यवाही करू नये.

20) अभिन्यास नकाशामध्ये नमुद मोजमापे, क्षेत्रफळ ईत्यादी परिगणने मध्ये कोणत्याही चुका आढळल्यास त्यासंदर्भाने अभिन्यासास सुधारीत मंजुरी घेणे आवश्यक राहील.

21) भविष्यात जागेबाबत वाद उपस्थित झाल्यास अभिन्यासाची मंजुरी रद्द समजण्यात येईल.

22) अभिन्यास मंजूरीवेळी सादर केलेल्या मालकी हक्क व इतर कागदपत्रांमध्ये काही दोष असल्यास अथवा सदरची कागदपत्रे खोटी व दिशाभूल करणारी असल्यास सदरची मंजुरी रद्द समजण्यात येईल. तसेच याबाबत संबंधितांना जबाबदार धरून भारतीय दंड विधान संहीतेच्या तरतूदीनुसार फौजदारी कारवाईस पात्र धरण्यात येईल.

23) शासन अधिसुचना क. टिपीएस–2420 / 1219 / प्र.क.144 / 2020 / नवि–9, दिनांक 02.03. 2022 अन्वये सदर जागा कृषी विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट केली असल्याने,सदर अधिसुचनेतील खालीलप्रमाणे अटी लागू राहतील.

**अट क. 1** काटोल शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनास आवश्यक खुल्या 10 टक्के जागे व्यतिरीक्त 10 टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक राहील.

**अट क. 2** खुल्या जागे सभोवताली कुंपण भिंत करणे आवश्यक राहील.

**अट क. 3** उक्त जमीनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा–सुविधा जमीन मालकानी / विकसन कर्त्यानी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील. मुलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनिःसारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.

| | | |
|---|---|---|
| क | अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर | एकुण 25 टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. |
| ख | सुमारे 40 टक्के मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर | एकुण 50 टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. |
| ग | सुमारे 60 टक्के मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर | एकुण 75 टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. |
| घ | सुमारे 80 टक्के मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर | एकुण 90 टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. |
| ड | सुमारे 100 टक्के मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर | एकुण 100 टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. |

24) प्रस्तावित अभिन्यास नकाशामध्ये सोडण्यात आलेल्या सुविधा क्षेत्रामध्ये बगिचा (Garden) विकसित करण्याची जबाबदारी जमिन मालक/विकासकर्त्याची राहील.

25) वरील अटींची पुर्तता होतांना अभिन्यासात फेरबदल झाल्यास सुधारीत अभिन्यासास मंजुरी प्राप्त करून घ्यावी लागेल.

26) आदेशातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी अभिन्यास मालकाची राहील तथापी आदेशातील कोणत्याही अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास अकृषिक परवानगी रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यईल.

27) सदर अभिन्यासातील विकास कामे पुर्ण झाल्यानंतर अंतीम मंजुरी प्रदान करण्यात येईल व अंतीम मंजुरीपुर्वी सदर रेखांकनाबाबत काही बदल करावयाचे असल्यास नियोजन प्राधिकरण सदर बदल करून अंतीम मंजुरी प्रदान करण्यात येईल.

उपरोक्त मंजुरी ही नियोजनाचे दुष्टीने करण्यात आलेली असुन आपण सादर केलेली सदर जागेचे मालकी हक्क तसेच इतर तद्नुषंगिक कागदपत्रे ग्राहय धरून सदर प्रकरणी मंजूरी देण्यात येत आहे.

**सहपत्रः**– वरीलप्रमाणे.

नियोजन प्रधिकरण तथा मुख्याधिकारी
नगर परिषद काटोल

प्रतिलीपीः– उपअधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय काटोल यांना माहीतीस तथा उचीत कार्यवाहीस अग्रेषित.

नियोजन प्रधिकरण तथा मुख्याधिकारी
नगर परिषद काटोल

# MUNICIPAL COUNCIL KATOL

## DIST-NAGPUR

## ANNEXTURE - A

STATEMENT OF DISTRIBUTION OF FSI ON EACH PLOT
OF KH.NO .608/1 & 609 ,P.H.NO - 44 ,AT MOUZA- KATOL TAHS-KATOL.

| PLOT NOS. | PLOT SIZE | AREA OF EACH PLOTS SQ.M. | NO.OF PLOTS | CORNER ROUNDING AREA OF ROAD (IF ANY) SQ.M. | NET AREA OF EACH PLOT (C-E) SQ.M. | TOTAL AREA ( D x F) | PRORATA FSI FACTOR | BUILT UP AREA ON PRORATA BASIS OF EACH PLOT SQ.M. | FRONT ROAD WIDTH M. | PERMISSIBLE BASIC FSI | PERMISIBLE BUILT UP AREA ON BASIC FSI OF EACH PLOT (I*K) SQ.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | ( 11.65 + 10.75 ) / 2 x 24.15 | 270.48 | 1 | 7.25 | 263.23 | 263.23 | 1.70 | 447.49 | 15.0 | 1.1 | 492.24 |
| 2 | ( 14.85 + 14.60 ) / 2 x 9.65 | 142.10 | 1 | - | 142.10 | 142.10 | 1.70 | 241.56 | 9.0 | 1.1 | 265.72 |
| 3 | ( 15.10 + 14.85 ) / 2 x 9.65 | 144.51 | 1 | - | 144.51 | 144.51 | 1.70 | 245.66 | 9.0 | 1.1 | 270.23 |
| 4 | ( 15.35 + 15.10 ) / 2 x 9.65 | 146.92 | 1 | - | 146.92 | 146.92 | 1.70 | 249.77 | 9.0 | 1.1 | 274.74 |
| 5 | ( 15.65 + 15.35 ) / 2 x 9.85 | 152.68 | 1 | 4.35 | 148.33 | 148.33 | 1.70 | 252.15 | 9.0 | 1.1 | 277.37 |
| 6 | ((16.00 + 15.85) / 2 x 4.80) + ((16.00 + 15.75) / 2 x 6.15) | 174.07 | 1 | 4.35 | 169.72 | 169.72 | 1.70 | 288.52 | 9.0 | 1.1 | 317.38 |
| 7 | ( 15.75 + 15.30 ) / 2 x 10.50 | 163.01 | 1 | - | 163.01 | 163.01 | 1.70 | 277.12 | 9.0 | 1.1 | 304.83 |
| 8 | ( 15.30 + 14.85 ) / 2 x 10.50 | 158.29 | 1 | - | 158.29 | 158.29 | 1.70 | 269.09 | 9.0 | 1.1 | 296.00 |
| 9 | ( 12.25 + 10.95 ) / 2 x 24.75 | 287.10 | 1 | 8.70 | 278.40 | 278.40 | 1.70 | 473.28 | 18.0 | 1.1 | 520.61 |
| 10 | ( 19.30 + 18.20 ) / 2 x 14.00 | 262.50 | 1 | 8.70 | 253.80 | 253.80 | 1.70 | 431.46 | 18.0 | 1.1 | 474.61 |
| 11, 12 | 14.00 x 10.50 | 147.00 | 2 | - | 147.00 | 294.00 | 1.70 | 249.90 | 9.0 | 1.1 | 274.89 |
| 13 | 14.00 x 10.95 | 153.30 | 1 | 4.35 | 148.95 | 148.95 | 1.70 | 253.22 | 9.0 | 1.1 | 278.54 |
| 14 | 14.00 x 9.85 | 137.90 | 1 | 4.35 | 133.55 | 133.55 | 1.70 | 227.04 | 9.0 | 1.1 | 249.74 |
| 15 TO 17 | 14.00 x 9.65 | 135.10 | 3 | - | 135.10 | 405.30 | 1.70 | 229.67 | 9.0 | 1.1 | 252.64 |
| 18 | ( 20.05 + 19.25 ) / 2 x 14.00 | 275.10 | 1 | 7.25 | 267.85 | 267.85 | 1.70 | 455.35 | 15.0 | 1.1 | 500.88 |
| 19 | ( 13.30 + 12.35 ) / 2 x 17.50 | 224.44 | 1 | 7.25 | 217.19 | 217.19 | 1.70 | 369.22 | 15.0 | 1.1 | 406.14 |
| 20 | ( 14.15 + 13.30 ) / 2 x 15.50 | 212.74 | 1 | - | 212.74 | 212.74 | 1.70 | 361.65 | 15.0 | 1.1 | 397.82 |
| 21 | ( 15.00 + 14.15 ) / 2 x 14.65 | 213.52 | 1 | - | 213.52 | 213.52 | 1.70 | 362.99 | 15.0 | 1.1 | 399.29 |
| 22 | 13.00 x 9.90 | 128.70 | 1 | - | 128.70 | 128.70 | 1.70 | 218.79 | 9.0 | 1.1 | 240.67 |
| 23 TO 26 | 13.00 x 7.00 | 91.00 | 4 | - | 91.00 | 364.00 | 1.70 | 154.70 | 9.0 | 1.1 | 170.17 |
| 27 | 13.00 x 9.75 | 126.75 | 1 | 4.35 | 122.40 | 122.40 | 1.70 | 208.08 | 9.0 | 1.1 | 228.89 |
| 28 | 12.50 x 11.00 | 137.50 | 1 | 4.35 | 133.15 | 133.15 | 1.70 | 226.36 | 9.0 | 1.1 | 248.99 |
| 29 TO 39 | 12.50 x 7.00 | 87.50 | 11 | - | 87.50 | 962.50 | 1.70 | 148.75 | 9.0 | 1.1 | 163.63 |
| 40 | ( 10.00 + 9.60 ) / 2 x 12.50 | 122.50 | 1 | - | 122.50 | 122.50 | 1.70 | 208.25 | 9.0 | 1.1 | 229.08 |
| 41 | ( 9.60 + 9.20 ) / 2 x 12.50 | 117.50 | 1 | - | 117.50 | 117.50 | 1.70 | 199.75 | 9.0 | 1.1 | 219.73 |
| 42 TO 52 | 12.50 x 7.00 | 87.50 | 11 | - | 87.50 | 962.50 | 1.70 | 148.75 | 9.0 | 1.1 | 163.63 |
| 53 | 12.50 x 11.00 | 137.50 | 1 | 4.35 | 133.15 | 133.15 | 1.70 | 226.36 | 9.0 | 1.1 | 248.99 |
| 54 | 16.00 x 8.60 | 137.60 | 1 | 4.35 | 133.25 | 133.25 | 1.70 | 226.53 | 9.0 | 1.1 | 249.18 |
| 55 TO 58 | 16.00 x 8.30 | 132.80 | 4 | - | 132.80 | 531.20 | 1.70 | 225.76 | 9.0 | 1.1 | 248.34 |
| 59 | 16.00 x 8.60 | 137.60 | 1 | - | 137.60 | 137.60 | 1.70 | 233.92 | 9.0 | 1.1 | 257.31 |
| 60 | ( 19.15 + 18.00 ) / 2 x 14.95 | 277.70 | 1 | 8.70 | 269.00 | 269.00 | 1.70 | 457.29 | 18.0 | 1.1 | 503.02 |
| 61 | 14.95 x 14.30 | 213.79 | 1 | - | 213.79 | 213.79 | 1.70 | 363.43 | 9.0 | 1.1 | 399.78 |
| TOTAL | | | 61 | 82.65 | | 8092.63 | | | | | |

Chief Officer
Municipal Council, Katol